भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3043
13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ किया जाना

3043. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के उत्थान और सुदृढ़ीकरण के लिए तैयार की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ख) ऐसी योजनाओं/पहलों के लक्ष्य क्या हैं और इस संबंध में क्या उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और उसके बाद एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। 2014 से पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी जो अब बढ़कर 780 हो गई है, जिसमें 101.5% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2014 से पहले एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 थी, जो अब 1,18,137 हो गई है, जिसमें 130% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2014 से पहले पीजी सीटों की संख्या 31,185 थी, जो अब 73,157 हो गई है, जिसमें 135% की वृद्धि हुई है।

देश में चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने और चिकित्सा मानकों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों/कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. जिला/रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) जिसके अंतर्गत 157 नए मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 131 पहले से ही कार्यशील हैं।

ii. सीएसएस, के तहत एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए 5972.20 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि, 1498.43 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से 72 कॉलेजों में चरण-I में 4058 पीजी सीटों और चरण-2 में 65 कॉलेजों में 4000 पीजी सीटों के लिए 4478.25 करोड़ रू. अनुमोदित किए गए हैं।

iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के घटक "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनमें से 69 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

iv. नए एम्स की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत 22 एम्स अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

v. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति हेतु डीएनबी अर्हता को मान्यता दी गई है।

vi. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों के लिए नियुक्ति/विस्तार/पुन: रोजगार के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाना।

*****